

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक
(गौरव अग्रवाल, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

53/2019
18-7-2019

- 1-रामफूल पुत्र केसरलाल गुर्जर निवासी ग्राम सेदरी गुजरान पंचायत मोहम्मदपुरा
तहसील उनियारा जिला टोंक राज०
2-कन्हैयालाल पुत्र केसरलाल गुर्जर निवासी ग्राम सेदरी गुजरान पंचायत मोहम्मदपुरा
तहसील उनियारा जिला टोंक राज०

-अपीलान्ट्स

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला- टोक

-रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 20-6-2019

- उपरिस्थिति : (1) श्री दोलतराम चौधरी अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 24-3-202

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 20-6-2019 के द्वारा अपीलान्ट्स को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 249 रकबा 0.01 है० वाके ग्राम कोटडी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने 1000/रुपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट्स ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए समन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स को नायब तहसीलदार सोप द्वारा निर्णय से पूर्व नोटिस नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट्स की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नहीं कराई गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को सुने बिना एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट्स की उक्त भूमि पर गत 20 वर्ष से भी अधिक समय से मौके पर मकान व दुकान बनी हुई है। अपीलान्ट्स के मकान व दुकान में विजली व नल कनेक्शन लगा हुआ है तथा सार्वजनिक रूप से पानी की टंकी बनी हुई है। अपीलान्ट्स इस भूमि में बने हुए मकान में निवास कर व बनी हुई दुकान में व्यवसाय करके अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। अपीलान्ट्स के पास व्यवसाय करने व निवास करने हेतु अथ कोई परिसर नहीं है, उक्त खसरा नम्बर काफी बड़ा है जिस में कई



✓

मकानात/दुकाने बनी हुई हैं ओर आवादी बसी हुई है। पटवारी हल्का ने दुर्भावना पूर्वक अपीलान्ट्स के विरुद्ध कब्जे वावत गलत रूप से रिपोर्ट की है। अपीलान्ट्स को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने विश्वास करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अपीलान्ट्स के अभिभाषक का यह भी कथन है कि नायब तहसीलदार ने अपीलान्ट्स को एक ही निर्णय के द्वारा तीन राजाएँ कमशः वेदखल करने पेनल्टी कायम करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजायें एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट्स के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट्स की विधिवत रूप से तामिल हुई है। विवादित गैर मुमकिन सड़क की भूमि पर अपीलान्ट्स ने पक्की दुकाने व मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट्स ने पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विवादित भूमि से पूर्व में पत्रावली सं० 1309/12 निर्णय दिनांक 15-5-2012 से वेदखल किया गया था एवं पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना माना गया है। अपीलान्ट्स सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलान्धीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट्स की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष में साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था। अपीलान्ट्स द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 249 रकबा 0.01 है० गैर मुमकिन सड़क वाके ग्राम कोटडी तहसील उनियारा पर मकान व दुकानें बनाकर अतिक्रमण किया है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट्स ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 1309/12 दिनांक 15-5-2012 से वेदखल किया जाना जाहिर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। नायब तहसीलदार सोप के न्यायालय में अपीलान्ट्स नोटिस की तामिल के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ है एवं अपीलान्ट्स ने स्वयं अपील प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि पर कब्जा करना स्वीकार किया है। अपीलान्ट्स सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 20-6-2019 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24-3-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोक